

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

| | |
|--------------|--------------------------|
| 1. भगवानाराम | पिसरान मुखराम |
| 2. गिरधारी | जाति मेघवाल |
| 3. शंकरलाल | साकिन प्रेमपुरा |
| 4. हनुमान | तहसील पीलीबंगा |
| 5. कृष्णलाल | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 6. ताराचन्द | |

— वादीगण

—बनाम:—

1. काशीराम पुत्र रूपराम जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. काशीराम पिसरान बस्तीराम जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा
3. चेताराम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. चन्द्रपाल पिसरान साधुराम जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा
5. जगदीश तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. पालो देवी पत्नी बीरबलराम
7. मोहनलाल पिसरान जाति बावरी साकिन प्रेमपुरा
8. राजेन्द्र तहसील पीलीबंगा
9. साहबराम बीरबलराम जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. आरएमजीबी बैंक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. एसबीआई बैंक शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. आरएमजीबी बैंक शाखा रामपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

—: निर्णय :-


दिनांक:- 25/9/2024

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से श्री दौलतराम पारीक अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:-

1. वादी सं. 1 भगवानाराम - चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 6/1/.181, 6/21.038, 6/3/.025, 7/.240, 8/.056 (किला नं. 7 के चिपते बजानिब पूर्व दिशा) की 0.540 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी।
2. वादी सं. 2 गिरधारी - चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 8/.184, 9/.240, 10/.053 (किला नं. 9 के चिपते बजानिब पूर्व दिशा) की 477 हैक्ट. नहरी खातेदारी।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3. वादी सं. 3 शंकरलाल – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 10/.197, 12/.253, 11/028 (किला नं. 12 के चिपते बजानिब पूर्व दिशा) की 0.478 हैक्ट. नहरी खातेदारी।
4. वादी सं. 4 हनुमान को चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 11/225, 20/.253 की 0.478 हैक्ट. नहरी खातेदारी।
5. वादीगण सं. 1 ता 4 – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 6/1/.009, 7/.013, 8/.013, 9/.013, 10/.003 की 0.051 हैक्ट. नहरी खातेदारी (प्रत्येक किला नं. के बजानिब दक्षिण दिशा में) ब.हि. ब.
6. वादी सं. 5 कृष्णलाल – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 243/120 के प.नं. 10/341 (43) किला नं. 12/.013 (किला नं. 13 के चिपते बजानिब पूर्व दिशा), 13/.240, 14/.240 की 0.493 हैक्ट. नहरी खातेदारी।
7. वादी सं. 6 ताराचन्द – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 243/120 के प.नं. 10/341 (43) किला नं. 11/.253, 12/.240 की 0.493 हैक्ट. नहरी खातेदारी।
8. वादीगण सं. 5, 6 कृष्णलाल ताराचन्द – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 243/120 के प.नं. 10/341 (43) किला नं. 13/.013, 14/.013 की 0.026 हैक्ट. नहरी खातेदारी (प्रत्येक किला नं. के बजानिब उत्तर दिशा में) ब.हि.ब.
9. प्रतिवादी सं. 1 काशीराम – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.164, 5/2/.051, 5/3/.038 की 1.265 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी।
10. प्रतिवादी सं. 2 काशीराम – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 14/.063 (किला नं. 15 के चिपते), 15/1/.190, 15/2/.038, 15/3/.025, 16/1/.105, 16/2/.038, 16/3/.025 की 0.484 हैक्ट. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 56/36 के प.नं. 9/340 (31) किला नं. 14, 15, 17, 18, 19, 20 की 1.518 हैक्ट. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल 2.002 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी।
11. प्रतिवादी सं. 3 चेताराम – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 16/.085 (किला नं. 17 के चिपते) 17/.084 (किला नं. 16 के चिपते) की 0.169 हैक्ट. नहरी खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 56/36 के प.नं. 9/340 (31) किला नं. 16, 21 ता 25 की 1.518 हैक्ट. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल 1.687 हैक्ट. नहरी खातेदारी।
12. प्रतिवादी सं. 6 ता 9 पालो देवी, मोहनलाल, राजेन्द्र व साहबराम – चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 13/.253, 14/.190 (किला नं. 13 के चिपते), 17/.169, 18/.063 (किला नं. 17 के चिपते) की कुल 0.675 हैक्ट. नहरी खातेदारी व चक 23 पीबीएन के खाता सं. 56/36 के प.नं. 9/341 (44) किला नं. 1/1/.117, 1/2/.025, 1/3/.111, 2/.253, 3/.253 की 0.759 हैक्ट. अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी इस प्रकार कुल 1.434 हैक्ट. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी ब.हि.ब.।


 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


13. प्रतिवादी सं. 4, 5 चन्द्रपाल जगदीश :- चक 23 पीबीएन के खाता सं. 60/180 के प.नं. 10/340 (32) किला नं. 18/.190 (किला नं. 19 के चिपते), 19/.253, 21 ता 24 की 1.455 हैक्ट. नहरी खातेदारी ब.हि.ब.।

वाद पत्र में वादीगण द्वारा रा.का.अधि. 88 के तहत अपने पिता मुखिया उर्फ मुखराम के स्थान पर मुखराम दर्ज करने हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मुखिया उर्फ मुखराम के स्थान पर मुखराम दर्ज किया जाने के आदेश फरमाये जाते हैं।

इसी अनुसार वादीगण का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अभिषेक कुमार एवम्
अभिषेक कुमार एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा)